FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चित्तौड़गढ़

पीलाल बनाम वीरेन्द्र सिंह

स्म मुकद्दमा प्रार्थना-पत्र नं. 444 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07/2/24	अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षी संख्या 01, 03, 04, 05 अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना 022 R 4 जा.दी. बाबत मृतक विपक्षी सं. 02 के कायम मुकाम हेतु पर बदल अधिवक्ता प्रार्थीगण एक तरफा सुनी गई। प्रार्थना पत्र 022 R 4 जा.दी. स्वीकार किया जाकर मृतक विपक्षी 02 के वारिस देवराजसिंह पिता भैरूसिंह चूण्डावत निवासी सुवावा को विपक्षी संख्या 2 के स्थान में पक्षकार संयोजित किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण के अवशेष भाग में अलग स्थगी से अंकित किया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण के निवेदन पर हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण ग्राम सुवावा पं.ह. पालका तहसील बल्ली स्थित अपनी खातेदारी आराजी संख्या 689 रकबा 1.36 हे., 690 भी रकबा 0.42 हे. तथा 734/761 रकबा 0.11 हे. कीला 3 कुल रकबा 1.89 हे. की पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। उक्त आराजीयात प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम सुवावा पं.ह. पालका तहसील बल्ली स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी आ.सं. 689, 690 भी 734/761 कीला 3 कुल रकबा 1.8900 हे. की बिना किसी के कब्जे में दखलन्दाजी किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। प्रकरण में तहसीलदार बल्ली को 1000/- एक हजार रुपए शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पालका तहसीलदार बल्ली को लिखा जावे। पत्रावली नियमानुसार समय समय से पेश हो।	(बीनू देवल) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner